बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि ४ अक्तूबर, १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

Short Notice Questions and Answers.

छात्रवृत्ति ।

७४। श्री बोकाय मंडल—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर प्रमंडल के स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को स्टाइपेंड देने वाली कमिटी की बैठक ११ दिसम्बर १९५४ को हुई थी ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टाइपेंड कमिटी ने श्री जगदीश प्रसाद, क्लास ९ और श्री परमेश्वर प्रसाद साह, क्लास ६, ली एकाडमी, फारबिसगंज, जिला पूर्णिया को स्टाइपेंड देने की मंजूरी दी थी ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त लड़कों को अभी तक स्वीकृत स्टाइपेंड नहीं दिये गये हैं ;

(४) क्या सरकार इसका कारण बताना चाहती है कि उन लड़कों को अभी तक स्टाइपेंड क्यों न मिला ?

श्री भोला पासवान—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) यह बात सही है कि स्टाइपेंड कमिटी ने छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की थी ।

(३) उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई अतः छात्रवृत्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) छात्रवृत्ति की जितनी संख्या थी उससे बहुत अधिक संख्या छात्रों की थी और इसी कारण कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी ।

श्री बोकाय मंडल—प्रमंडल समिति ने जितनी रकम पूर्णिया जिला को एलौट किया था उतनी छात्रों को मिली या नहीं ?

श्री भोला पासवान—जिला के हिसाब से निस्पापन नहीं किया गया था बल्कि डिवीजन के हिसाब से निस्पापन किया गया था ।

श्री बोकाय मंडल—क्या यह बात सही है कि आबादी के आधार पर समिति ने रुपया एलौट किया था ?

श्री भोला पासवान—(१) छात्रवृत्ति समिति की बैठक तारीख ८ दिसम्बर १९५४ और ९ दिसम्बर १९५४ को नहीं बल्कि १० दिसम्बर १९५४ और ११ दिसम्बर १९५४ को शिक्षाध्यक्ष, पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में हुई थी।

(२) दिनांक ९ दिसम्बर १९५४ को नहीं बल्कि ११ दिसम्बर १९५४ को सदस्यों ने अपने निर्णय पर हस्ताक्षर कर समिति के अध्यक्ष को समर्पित कर दिया था।

(३) मनोनीत किये गये छात्रों की संख्या (नम्बर ऑफ रिकोमेंडेड कंडिडेट्स) छात्रवृत्ति की संख्या से अत्यधिक होने के कारण कुछ छात्रों का नाम हटाना अनिवार्य हो गया। अतः हटाये गये छात्रों को जिसके लिए भी समिति ने सिफारिश की थी, छात्रवृत्ति उपलब्ध न होने के कारण छात्रवृत्ति न मिल सकी।

(४) उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति समिति ने छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी लेकिन छात्रवृत्ति के अभाव में छात्रवृत्ति प्रदान न की जा सकी।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

विधायी कार्य : सरकारी विधेयक।

Legislative Business :-Official Bills.

बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० २६)।

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1955 (BILL NO. 26 OF 1955).

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करने की तिथि २९ सितम्बर, १९५५, से ४ अक्तूबर, १९५५ तक बढ़ा दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करने की तिथि २९ सितम्बर, १९५५ से ४ अक्तूबर, १९५५ तक बढ़ा दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

प्रतिवेदन उपस्थित हुआ।